भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1715
16 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

पीपीपी मोड पर सैनिक स्कूल

1715. श्री देवजी पटेल:
श्री मती रंजीता कोली:
डॉ. मनोज राजोरिया:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
श्री जुएल ओराम:
श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्री दिलीप शइकीया:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), निजी स्कूलों और राज्यों के सहयोग से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर सैनिक स्कूलों के नेटवर्क का विस्तार करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है और उक्त विद्यालय खोलने के लिए निर्धारित मानक और मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त विद्यालय खोलने के लिए किए गए कुल पूंजीगत व्यय/वर्तमान अनुमानित और किए गए व्यय और प्रदान किए जाने वाली प्रस्तावित सहायता अनुदान की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सैनिक स्कूलों के निर्माण और प्रबंधन में सार्वजनिक और निजी संगठनों द्वारा वहन की जाने वाली राशि कितनी है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) और (ख) सरकार ने सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्य सरकार के स्कूलों के साथ भागीदारी मोड में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की पहल को अनुमोदन दिया है। उन नए सैनिक स्कूलों जिनके साथ सैनिक स्कूल सोसाइटी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, के जिले-वार ब्यौरे सहित राज्य/संघ राज्यवार सूची **अनुबंध 'क'** में दी गई है।

(ग) से (ड.) यद्यपि इस पहल में सभी आवश्यक अवसंरचना, फैकल्टी सृजन और एंटिटी (राज्य सरकार/निजी क्षेत्र/ ट्रस्ट/सोसाइटी/एनजीओ) द्वारा भागीदारी मोड में नए सैनिक स्कूलों की स्थापना और संचालन के लिए निर्धारित अन्य आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है तथापि इसके लिए भारत सरकार द्वारा व्यय किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि अनुमोदित स्कूल के लिए कक्षा के छात्रों की संख्या (बशर्ते कि प्रतिवर्ष 50 छात्र की ऊपरी सीमा से अधिक न हो) के 50% तक के लिए 50% तक शुल्क सहायता (बशर्ते कि प्रतिवर्ष प्रति छात्र 40,000/- रू. की ऊपरी सीमा से अधिक न हो) गुण-दोष के आधार पर वार्षिक सहायता सैनिक स्कूल सोसाइटी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। जहां तक भागीदारी मोड पर नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए मानदंड का संबंध है, इसके लिए निर्धारित अर्हता आवश्यकताओं को पूरा करने, अनुमोदित उपनियमों के अनुपालन और सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के आधार पर अनुमोदन के अध्यधीन है।

अनुबंध-क

'पीपीपी मोड पर सैनिक स्कूल' के बारे में दिनांक 16.12.2022 को उत्तर देने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1715 के भाग (क और ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

नए सैनिक स्कूलों (भागदारी मोड पर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	जिला	भागीदारी मोड पर नए सैनिक स्कूलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	एसपीएसआर नैल्लोर	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	तवांग	1
3.	बिहार	समस्तीपुर	2
		पटना	
4.	दादर और नगर हवेली	सिलवासा	1
5.	गुजरात	जूनागढ़	2
		मेहसाणा	
6.	हरियाणा	फतेहाबाद	2
		रोहतक	
7.	हिमाचल प्रदेश	सोलन	1
8.	कर्नाटक	बेलागावी	2
		मैसूरू	
9.	केरल	कोझिकोड	1
10.	मध्य प्रदेश	मंदसौर	1
11.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	2
		सांगली	
12.	पंजाब	पटियाला	1
13.	तमिलनाडु	तूतीकोरिन	1
	कुल		18

****